(218)

कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू - 2269 - I/16

प्र.क. /2016 रिव्यू

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 6/7/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— अब्दुल हमीद तनय स्व. अली मोहम्मद

2— अब्दुल रसीद तनय स्व. अली मोहम्मद निवासीगण— कटरा बाजार तहसील व जिला सागर (म.प्र.) ———आवेदकगण

बनाम

1— फारूख तनय स्व. युसूफ मोहम्मद

2— असलम तनय स्व. यूसूफ मोहम्मद

3— अकरम तनय स्व. युसूफ मोहम्मद

4— अखील तनय स्व. सुलेमान मोहम्मद

5— अनस तनय स्व. सुलेमान मोहम्मद

6— सकीना पत्नि अहमद मोहम्मद

7— सायराबानो पत्नि स्व. लतीफ मोहम्मद

8— रफीक तनय स्व. लतीफ मोहम्मद

9— तारिक तनय स्व. लतीफ मोहम्मद,

10— आरिफ तनय स्व. लतीफ मोहम्मद

11— रूकैया वी पत्नि स्व. अब्बू बकर

12— मो. इस्माईल तनय स्व. अब्बू बकर

13— महमूद तनपय स्व. अब्बू बकर

14— शहीद तनय स्व. अब्बू बकर

15— अमीना वी पत्नि स्व. हसन मोहम्मद

16— आरिफ तनय स्व. हसन मोहम्मद

17— कासिव तनय स्व. हसन मोहम्मद

18— अमीन तनय स्व. अयुव मोहम्मद

दुष्यन्त कुमार सिंह

एडवोकेट

म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड

ग्वालियर-3

19– जुवेर तनय स्व. अयुव मोहम्मद

20– हुजैफा तनय स्व. अयुव मोहम्मद

21– विशाल तनय स्व. मूसा

22– कासम तनय स्व. मूसा

23– मासूम तनय स्व. मूसा

24– मो. गनी तनय स्व. यूनिस

निवासीगण– बतासा वाली गली, रामपुर वार्ड, जिला सागर (म.प्र.)

25– म.प्र.शासन ———–अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन – पत्र अन्तर्गत धारा – 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता – 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2016 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1794–I/2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का रिव्यू आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदक कमांक–1 लगायत 24 द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला सागर के समक्ष मौजा करीला एंव वामनखेडी स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 7, 8, 9, 10, 13, 14, प्लाट नंबर 4, 2, 3/1, 3/2, 4/3, 4/1, 4/2ए, 6/2, 7, 8, 9, से 64 तक तथा एंव 2, 3, 5, 7, 11, 12/2, 13 से 50 तक 1 से 40 तक एंव 42 से 48 तक (1340886 वर्गफुट) कुल रकवा 30.78 एकड भूमि में से 27.82 एकड़ भूमि को विकय किये जाने वावत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक 21अ/20(4) वर्ष 14–15 पर दर्ज किया जाकर, नजूल भूमि के विकय के संबंध में भूमि अधिकार के संबंध में एवं भूमि अंतरण के संबंध में शासन के दिशा निर्देश न होने से कलेक्टर महोदय द्वारा अनावेदक का विक्रय अनुमति आवेदन–पत्र दिनांक 1.5.2015 अपने आदेश दिनांक 25.5.2016 द्वारा स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2269/I/2016 पुर्नविलोकन जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23—9—2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह उपस्थित, अनावेदकगण कमांक—1 लगायत—24 की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक कमांक—25 की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1794—I/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6—6—2016 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहि 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 3— प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनावेदकगण क्र.1 लगायत 24 द्वारा कलेक्टर महोदय जिला सागर के समक्ष भूमि मौजा करीला एवं वामनखेडी स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 7, 8, 9, 10, 13, 14,प्लाट नंबर 4, 2, 3/1, 3/2, 4/3, 4/1, 4/2ए , 6/2, 7, 8, 9,से 64 तक तथा 2, 3, 5, 7, 11, 12/2, 13 से 50 तक 1 से 40 तक एवं 42 से 48 तक कुल रकवा 30.78 एकड़ भूमि मेंसे 27.82 एकड़ भूमि को विकय किये जाने हेतु अनुमति आवेदन पत्र पेश किया जिसे प्र0क0 21अ/20(4) वर्ष 14—15 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 25—5—2016 को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 6—6—2016 को स्वीकार की गई, जिसके परिवेदित होकर, आवेदकगण द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। 4— आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह	

तर्क दिए गए है कि अनावेदकगण द्वारा कुल भूमि रकवा 30.78 एकड भूमि मेंसे 27.82 एकड़ भूमि को विकय किये जाने वावत कलेक्टर महोदय से अनुमति चाही गई थी परन्तु इसके विपरीत अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय से सम्पूर्ण भूमि को विकय किये जाने की अनुमति आदेश प्राप्त किया गया है। जिससे आवेदकगण सागर बोन मिल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि की भी विकय अनुमति अनावेदकगण के पक्ष में प्रदान की गई।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकगण द्वारा जिस भूमि की विकय अनुमति इस न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई है उसमें आवेदकगण सागर बोन मिल के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ब्लाक न.9 प्लाट न. 3/1 रकवा 0.11 एकड़, ब्लाक न. 10 प्लाट 5 रकवा 0.63 एकड़ कुल रकवा 0.74 एकड़ आवेदकगण के पिता एवं अन्य पार्टनर सागर बोन मिल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 30–8–1954 को कय की गई भूमि है।

यह तर्क दिया गया कि, विवादित भूमि पर आवेदकगण सागर बोन मिल का वर्ष 1954 से लगातार आधिपत्य है,आवेदकगण उक्त भूमि के रिकार्डेड भूमि स्वामी है अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को निगरानी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 6–6–2016 निरस्त कर पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुर्नविलोकन में पुर्नविलोकन के आधार न होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6-– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो तथा अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष विवादित भूमि रकवा 30.78 एकड भूमि मेंसे 27.82 एकड़ भूमि को विकय किये जाने की अनुमति चाही

थी जो न मिलने पर इस न्यायालय में आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना एवं तथ्यो को छुपाकर सम्पूर्ण रकवा 30.78 एकड भूमि विक्रय अनुमति आदेश प्राप्त किया गया। इस कारण प्रकरण में पुर्नविलोकन के पर्याप्त आधार विधमान है।

7– अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि कि अनावेदकगण को जिस भूमि की विक्रय अनुमति प्रदान की गई है उस भूमि में आवेदकगण के पिता एवं अन्य पार्टनर सागर बोन मिल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 30–8–1954 को क्रय की गई भूमि भूमि ब्लाक न.9 प्लाट न. 3/1 रकवा 0.11 एकड़, ब्लाक न. 10 प्लाट 5 रकवा 0.63 एकड़ कुल रकवा 0.74 एकड भूमि की भी विक्रय अनुमति प्रदान की गई है। इस कारण राजस्व मण्डल का आदेश न्यायि एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर, कुल रकवा 30.78 एकड़ में से 27.82 एकड़ की विक्रय अनुमति यथावत रखी जाकर, शेष भूमि एवं आवेदकगण के स्वत्व की भूमि ब्लाक न.9 प्लाट न. 3/1 रकवा 0.11 एकड़, ब्लाक न. 10 प्लाट 5 रकवा 0.63 एकड़ कुल रकवा 0.74 एकड़ की विक्रय अनुमति आवेदकगण के पक्ष में प्रदान की जाती है। शेष आदेश दिनांक 6–6–2016 यथावत रहेगा। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो।

सदस्य